सं. 11013/7/2004-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 1 सितम्बर, 2008

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी पर विदेश जाने हेतु स्टेशन/मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति लेने की अपेक्षा ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/8/2000-स्था.(क) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उसके पैरा 1 में यह सूचित किया गया था कि मौजूदा आदेशों के अनुसार यदि अधिकारी को विदेश जाने हेतु अनुमति दिया जाना अपेक्षित है, तो छुट्टी प्रदान करते समय मंजूरकर्ता प्राधिकारी को पूर्व अनुमोदन लेना होगा ।

2. यह स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के विदेश जाने पर उसे छुट्टी मंजूर करने से पूर्व, किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अपेक्षित है । यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 07 नवम्बर, 2000 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, वह सक्षम प्राधिकारी हैं, जो संवर्ग प्राधिकारी अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं जारी किए गए अनुदेशों; यदि कोई हैं, के अनुसार घोषित किए गए हैं । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में इससे संबंधित कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं । ऐसे अनुदेशों के अभाव में छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन में विदेश जाने हेतु अनुमोदन भी समाविष्ट होता है । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ऐसे मामलों में छुट्टी आवेदनों में विदेश जाने के प्रयोजन का उल्लेख अवश्य होना चाहिए ।

(ए. बलराम)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग